खास खबरें

मंदिर का ताला तोड़कर इन्वर्टर बैटरी चोरी

नप्र, भोपालः गांधीनगर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 351/2026, धारा 331(4), 305ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी भगवानदास अहिरवार (48) ने शिकायत दर्ज कराई कि झूलेलाल मंदिर मार्केट स्थित मंदिर का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी करीब 15 हजार रुपये कीमत की इन्वर्टर बैटरी चोरी कर ले गए।

कार चोरी का मामला दर्ज

बागसेवनिया थाना में अपराध क्रमांक 585/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत वाहन चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ। फरियादी सुनील पांडेय ने बताया कि नारायण नगर से उनकी एमपी-04-ईबी-7681 कार चोरी हो गई। मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस वाहन की तलाश कर रही है।

एक्टिवा चोरी, अज्ञात पर केस

बागसेवनिया थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 586/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया। फरियादी मोनू कुमार सैनी ने शिकायत की कि भेल संगम कॉलोनी से उनकी एक्टिवा एमपी-04-यूए-6844 चोरी हो गई।

गाय को टक्कर मारने पर चालक पर केस

कजलीखेड़ा थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 320/2026, धारा 325 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। फरियादी मनीष बंसल की शिकायत पर बोलेरो एमपी-04-सीजी-3754 के चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर गाय को टक्कर मारने से उसकी मौत होने पर प्रकरण कायम किया गया है।

अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार

शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 472/2026, धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। अंकित करोले पिता अशोक (26) को 50 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

ऑनलाइन ठगी में 1.88 लाख रुपये पार

जहांगीराबाद थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 259/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। फरियादी हेमंत कुमार परिहार ने शिकायत की कि अज्ञात आरोपी ने ऑनलाइन फ्रॉड कर उनके खाते से 1,88,605 रुपये निकाल लिए।

बिजली बिल के नाम पर 57 हजार की ठगी

कोलार थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 454/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया। फरियादी सताक्षी बाथम ने बताया कि अज्ञात आरोपी ने बिजली बिल अपडेट कराने का झांसा देकर उनके खाते से 57,200 रुपये निकाल लिए।

मारपीट और धमकी देने पर केस

मिसरोद थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 521/2026, धारा 296ए, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। फरियादी रजनी शर्मा की शिकायत पर पवन के खिलाफ बस में बैठने की बात को लेकर अभ्रदता,मारपीट और धमकी देने का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

राजधानी में पेट्रोल पंपों पर खाद्य विभाग का छापा पचास एमएल कम पेट्रोल देने वाला नोजल सील

डीजल टैंक में मिला 116 लीटर पानी, अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर भी बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की निगरानी के लिए खाद्य विभाग ने शनिवार को पेट्रोल पंपों और अवैध गैस रिफिलिंग केंद्रों पर सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कम आपूर्ति मिलने पर नोजल को सील कर दिया गया, जबकि दूसरे पंप के भूमिगत डीजल टैंक में 116 लीटर पानी मिलने से हड़कंप मच गया। इसके अलावा माता मंदिर क्षेत्र में संचालित एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर छापा मारकर घरेलू गैस सिलेंडर और गैस अंतरण मशीन जब्त की गई।

खाद्य नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के निर्देशन में सहायक आपूर्ति अधिकारी संदीप भार्गव, सुनील वर्मा, पीयूष शुक्ला, वसुंधरा पेंड्रो तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तृणाल जांभोलकर और भावना तिवारी की टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई की।

कमला पार्क स्थित पेट्रोल पंप की जांच

टीम ने सबसे पहले कमला पार्क स्थित योर सर्विस स्टेशन (एचपीसीएल) का निरीक्षण किया। जांच में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया। हालांकि निरीक्षण के दौरान विस्फोटक अनुज्ञप्ति के विपरीत दो अतिरिक्त डिस्पेंसिंग यूनिट संचालित होना पाया गया, जिसे लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

आरके पेट्रोलियम में कम निकला पेट्रोल

इसके बाद पीएंडटी चौराहा स्थित आरके पेट्रोलियम की जांच की गई। यहां स्टॉक तो निर्धारित सीमा में मिला, लेकिन भूमिगत डीजल टैंक में 116 लीटर पानी पाया गया। वहीं जांच में पेट्रोल के एक नोजल से 50 मिलीलीटर कम पेट्रोल दिए जाने की पुष्टि हुई। टीम ने तत्काल संबंधित नोजल को सील कर दिया और पंप संचालक व एरिया सेल्स मैनेजर को निर्देश दिए कि टैंक से पानी पूरी तरह निकालने के बाद ही डीजल की बिक्री शुरू की जाए।

माता मंदिर में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़

खाद्य विभाग ने माता मंदिर क्षेत्र के एक जर्जर मकान में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर भी छापा मारा। यहां घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से विद्युत गैस अंतरण मोटर के माध्यम से वाहनों में गैस भरी जा रही थी। मौके से भारत गैस के दो घरेलू सिलेंडर और एक 1 एचपी की गैस अंतरण विद्युत मोटर जब्त की गई। खाद्य नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि तीनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों और अवैध गैस कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

डीबी मॉल के सामने 15 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान के तहत क्राइम ब्रांच भोपाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.030 किलोग्राम अवैध गांजा और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे एवं वाहन की कुल अनुमानित कीमत करीब 3 लाख 600 रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार मुख्यमंत्री एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों तथा पुलिस आयुक्त भोपाल के मार्गदर्शन में जिलेभर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच की टीम एमपी नगर क्षेत्र में जागरूकता अभियान के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी कर रही थी।

इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि डीबी मॉल के सामने जोन-1 एमपी नगर में एक युवक मोटरसाइकिल पर बोरी में गांजा लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और युवक को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शिवम शर्मा (22 वर्ष), निवासी ग्राम सिलपटी, थाना ईसागढ़, जिला अशोकनगर बताया।

तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल पर बंधी बोरी से 15.030 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा और मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर भोपाल में उसकी सप्लाई करता था। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच अब आरोपी से पूछताछ कर गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह, अन्य तस्करों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण कर रही है। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बिजली बिल अपडेट कराने के नाम पर 82 हजार की साइबर ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला बागसेवनिया थाना क्षेत्र का है, जहां बिजली बिल अपडेट कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 82,474.41 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली गई।

पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, ठगों ने खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर पीड़ित से संपर्क किया। पहले व्हाट्सएप पर बिजली बिल अपडेट करने का संदेश भेजा गया और फिर एक एफ फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा गया। पीड़ित के फाइल डाउनलोड करते ही ठगों ने उसके मोबाइल और बैंकिंग संबंधी जानकारी तक पहुंच बना ली।

इसके बाद जालसाजों ने क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर पीड़ित के खाते से 82,474.41 का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रकम निकाल ली। बैंक से लेनदेन का संदेश मिलने पर पीड़ित को ठगी का पता चला, जिसके बाद उसने बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने साइबर अपराध का मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई,क्य फाइल डाउनलोड न करें और न ही फोन, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से बैंक या कार्ड संबंधी गोपनीय जानकारी साझा करें।

किशोर कुमार की जयंती पर आज होगी 'छूकर मेरे मन को..' संगीतमय संध्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः महान पार्श्वगायक किशोर कुमार की जयंती पर रविवार शाम 6 बजे रवींद्र भवन के अंजनी सभागार में संगीतमय कार्यक्रम 'छूकर मेरे मन को...' आयोजित होगा। केकेएफसी म्यूजिक इंडिया और किशोर कुमार फैंस क्लब द्वारा संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ गायक डॉ. कुमार राजेश किशोर कुमार के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति देंगे। जी सारे गा मा फेम गायिकाएं अमीषा और राधिका, मुंबई की युवा गायिका मिहिका, संदीप पारे तथा क्लब के सदस्य भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस अवसर पर संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रवीण कश्यप को प्रतिष्ठित 'किशोर अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा। क्लब के सह-संस्थापक डॉ. संजय पोफली और डॉ. टी.एन. दुबे ने बताया कि कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा तथा बैठने की व्यवस्था 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी।

कटारा हिल्स में दिनदहाड़े दो बच्चियों का अपहरण नकाबपोश युवकों की तलाश जारी

नप्र, भोपालः राजधानी के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित विवेकानंद कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर दो मासूम बच्चियों को उठाकर जंगल की ओर ले जाने के आरोप से सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीन नकाबपोश युवक और एक महिला कॉलोनी की पिछली दीवार और जाली फांदकर अंदर घुसे और पार्किंग के पास खेल रही करीब 12 वर्षीय दो बच्चियों को जबरन अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि जंगल की ओर ले जाकर बच्चियों के साथ मारपीट की गई और गलत हरकत करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान पास में मौजूद एक चरवाहे ने उन्हें देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद आरोपित बच्चियों को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले।

घटना की सूचना मिलते ही कटारा हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची और जंगल व आसपास के खेतों में करीब तीन घंटे तक सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन संदिग्धों का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है, जिनमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने की बात कही जा रही है। इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान और तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि दोनों बच्चियां सुरक्षित अपने परिजनों के पास पहुंच गई हैं। हालांकि उनके स्वजनों ने लिखित शिकायत देने और एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार बच्चियों में एक बरई निवासी एक एनजीओ संचालक की बेटी है, जो छठवीं कक्षा में पढ़ती है। वह स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की डांस रिहर्सल के लिए अपनी सहपाठी के घर विवेकानंद कॉलोनी आई थी। रिहर्सल के बाद दोनों बच्चियां मल्टी की पार्किंग के पास छुपन-छुपाई खेल रही थीं, तभी पीछे से आए नकाबपोश लोगों ने उनके मुंह पर कपड़ा डालकर उन्हें उठा लिया और जंगल की ओर ले गए।

शाहपुरा थाना क्षेत्र में नहर से मिला युवक का शव,घर वालों ने की पहचान

नप्र, भोपालः राजधानी के शाहपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार को विष्णु फास्ट फूड के सामने स्थित नहर से एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक की पहचान श्यामलाल हिरवे, निवासी ईदगाह हिल्स, भोपाल के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद उनकी भतीजी ने शव की पहचान की। घटना शाहपुरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल पुलिस में फेरबदल उपनिरीक्षकों के तबादले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी भोपाल पुलिस में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पांच उपनिरीक्षकों के अस्थायी तबादले किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों की आगामी आदेश तक नई थानों में पदस्थापना की गई है।

जारी आदेश के अनुसार उपनिरीक्षक कुलदीप खरे को रक्षित केंद्र भोपाल से थाना बागसेवनिया, शिवराज जाटव को रक्षित केंद्र से थाना एमपी नगर, शिवेन्द्र कुमार पाठक को थाना एमपी नगर से थाना कोलार, सुनील कुमार देशमुख को थाना अयोध्यानगर से थाना चुनाभट्टी तथा रिया चौहान को रक्षित केंद्र भोपाल से थाना गांधीनगर में पदस्थ किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह स्थानांतरण अगले आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेंगे। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल पुलिस का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से संबंधित थानों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

नशे के सौदागरों पर प्रशासन का शिकंजा

भोपाल-विदिशा के दो आरोपियों को भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने भोपाल और विदिशा जिले के दो आरोपियों को मादक औषधि एवं मादक पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत छह-छह माह के लिए केंद्रीय जेल, इंदौर में निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए हैं।

संभागायुक्त ने स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। संभागायुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, विदिशा जिले के गंजबासौदा निवासी दीपक रघुवंशी (35) और भोपाल के बागसेवनिया निवासी शैलू उर्फ शैलेष कंवर (35) के खिलाफ संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया था। दोनों प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद संभागायुक्त ने अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दोनों आरोपियों को छह-छह माह के लिए केंद्रीय जेल, इंदौर में निरुद्ध रखने के आदेश पारित किए।

पुलिस और प्रशासन के प्रस्ताव पर हुई कार्रवाई : दीपक रघुवंशी के विरुद्ध प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, विदिशा द्वारा भेजा गया था, जबकि शैलू उर्फ शैलेष कंवर के विरुद्ध पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद संभागायुक्त ने दोनों मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई को आवश्यक मानते हुए आदेश जारी किए।

नशे के कारोबार पर रहेगी कड़ी निगरानी : संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने संबंधित जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों की लगातार निगरानी की जाए और ऐसे मामलों में समयबद्ध तरीके से निरोधात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। प्रशासन का कहना है कि संभाग में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

टैटू सेंटर सील करने पहुंची निगम टीम, पार्षद पति ने किया विरोध

नप्र, भोपालः आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही।

सहायक यंत्री निशांत तिवारी के नेतृत्व में निगम अमले ने आवासीय परिसर में नियमों के विपरीत संचालित 'आई लव टैटू (स्किन मशीन टैटू सेंटर)' को सील कर दिया। जांच में केंद्र का संचालन आवासीय भवन में व्यावसायिक गतिविधि के रूप में पाया गया। कार्रवाई के दौरान पार्षद पति रामबाबू पाटीदार ने निगम अधिकारियों से तीखी नोकझोंक करते हुए विरोध जताया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने कार्रवाई में व्यवधान डालने का प्रयास भी किया।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन

दिनांक 23.07.2026

सार्वजनिक सूचना

प्रकरण क्रमांक 00 / अ-82/2026-27 चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची में खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है अथवा आवश्यक्ता पडने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/शा 2 ए भोपाल दिनांक 12 नबम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबधित विभाग/उपक्रम में पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर) में आधार सहित प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जावेगा ।

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06	07	08
01	फूलसिंह आ. मठोला जाति चमार	खामखेडा	254	0.308	0.064	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रायसेन	बेगमगंज सागर मार्ग (SH-86 A) से महुआखेडाकलां, गोरखा,पडरिया, राजाधार,से सिलवानी सागर (SH-15) मार्ग निर्माण
02	चरनसिंह आ. फूलसिंह जाति जमार	खामखेडा	253/3	0.405	0.171		
03	डेलनसिंह आ. खिलानसिंह	खामखेडा	93/1	0.300	0.026		
04	चेनसिंह आ. खिलानसिंह	खामखेडा	93/2	0.072	0.025		
05	श्यामलाल माधोसिंह कुदन बगै	खामखेडा	99/1/2/1	1.125	0.166		
06	चेनसिंह आ खिलानसिंह	खामखेडा	100/101/1/1	0.760	0.372		
07	डेलनसिंह आ. खिलानसिंह	खामखेडा	100/101/2/1	0.760	0.018		
08	चरनसिंह आ. पूरनसिह	खामखेड़ा	62/1	0.656	0.003		
09	गजराजसिंह आ. चरनसिंह	खामखेड़ा	62/2	0.656	0.004		
10	रामजी आ चरनसिंह	खामखेडा	62/4	0.486	0.002		
11	निरजनसिंह आ. प्रहलादसिंह	खामखेड़	62/8	1.857	0.002		
12	जगदीश प्रसाद आ. बैजनाथ प्रसाद	खामखेडा	60/1	0.259	0.002		
13	अजबसिंह आ. प्रहलादसिंह	खामखेडा	60/2	0.259	0.002		
14	चेनसिंह आ. खिलानसिंह	खामखेडा	102/1	1.214	0.003		
15	शिवकुमार आ घनश्यामदास कुशवाहा	खामखेडा	46	0.101	0.067		
16	हल्केमाई आ. रतनसिंह दांगी	खामखेडा़	89	0.214	0.011		
17	रामराज आ. नारायणसिंह दागी	खामखेडा	45/1/1	0.404	0.020		
18	अशोकरानी पत्नि राजामाई	खामखेडा	45/2/1/2/2	0.405	0.020		
19	राकेश आ कैलाशनारायण	खामखेडा	55/1	1.214	0.025		
20	राममोहन आ. कैलाशनारायण	खामखेडा	55/2/2/1/1	0.101	0.012		
21	राजेश आ कैलाशनारायण	खामखेडा	55/2/2	1.400	0.015		
22	रामेश्वर आ. परमानंद	खामखेडा	39/2	1.344	0.113		
23	रामेश्वर आ. परमानंद	खामखेडा	38/2	0.821	0.020		
24	राजू उदय आ बृजालाल	खामखेडा	244	1.861	0.106		
	योग खामखेडा			16.982	1.269		

सक्षम अधिकारी/भू अर्जन, एवं अनुविभागी अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग बेगगगंज जिला-रायसेन

जी-16541/26

स्मृतिशेष ....

हिन्दी-जीवनव्रती पद्मश्री कैलाशचन्द्र पंत

विजयदत्त श्रीधर

हिन्दी जीवनव्रती श्री कैलाशचन्द्र पंत अब हमारे बीच नहीं हैं। 31 जुलाई, 2026 को वे ब्रह्मलीन हुए। दादा के संबोधन से देशभर में लोकप्रिय पंत जी मध्यप्रदेश के सार्वजनिक जीवन की ऐसी विभूति थे जिन्हें हर वर्ग और हर आयु के लोगों का आदर और विश्वास मिला। अनन्य हिन्दी सेवा के लिए श्री कैलाशचन्द्र पंत को वर्ष 2026 के पद्मश्री अलंकरण से विभूषित किया गया । सबको एहसास हुआ कि सर्वथा सुपात्र समाजसेवी की सुदीर्घ साधना को सम्मानित किया गया है।

श्री कैलाशचन्द्र पंत ने मध्यप्रदेश में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के ध्वज तले सेवा और सरोकार का जो समीकरण रचा, उसका सबसे उल्लेखनीय तथ्य है कि हिन्दी-सेवा के लिए दादा कैलाशचन्द्र पंत ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में अंतर्निहित तीन बड़ी संभावनाओं का लगभग परित्याग कर दिया। साठ के दशक में मेधावी छात्र के रूप में स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले पंत जी, किसी भी विश्वविद्यालय में सफल प्राध्यापक हो सकते थे। उनकी भाषा और शैली, तथ्य-निरूपण और कथ्य-कला पंत जी को पत्रकार जगत में प्रतिष्ठित करने में समर्थ होती। उनका लिखा हुआ गद्य जिन्होंने पढ़ा है वे निस्संकोच स्वीकार करेंगे कि श्री कैलाशचन्द्र पंत हिन्दी के समर्थ निबंधकार होते। किंतु यह उनकी वैयक्तिक उपलब्धि होती। पंत जी ने अपने व्यष्ठि के स्थान पर समष्ठि को वरीयता दी। उन्होंने आजीवन हिन्दी सेवा का व्रत लिया। इस व्रत का परिपालन करने में दादा का जो गुण आधारभूत सिद्ध हुआ, वह है लोकसंग्रह की उनकी उदात्त प्रकृति। इसी गुण के कारण वे अपने चहुँओर और दूर-दूर तक एक वृहद परिवार रच सके।

जब शिक्षा आधुनिक नहीं हुई थी, तब स्कूल में पढ़ा था- 'तरुवर फल नहिं खात हैं, सरुवर पियहिं न पान' अर्थात् वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते (दूसरों को खाने के लिए फल देते हैं), सरोवर (जल स्रोत) स्वयं अपना पानी नहीं पीते अर्थात् उनमें प्रवहमान और संचित जल दूसरों की प्यास बुझाने के लिए होता है। मानव जीवन में भी कतिपय ऐसे सज्जन होते हैं जो अपने आचार-विचार और व्यवहार से समस्त समाज के हो जाते हैं। उनके सोच के दायरे में सबका कल्याण समाहित होता है। भोपाल के सांस्कृतिक परिदृश्य में ऐसा ही एक नाम दादा कैलाशचन्द्र पंत का है। वे अजातशत्रु थे । इसीलिए सब उनके थे और वे सबके थे।

दादा के परिवार में घुले-मिले इन 50 सालों में उनके बहुविध स्वरूपों का साक्षात्कार हुआ। सन् 1977 में दादा कैलाशचन्द्र पंत ने साप्ताहिक' जनधर्म' का सम्पादन-प्रकाशन आरम्भ किया। 'जनधर्म' के कई विशेषांक उन्होंने निकाले, जो सन्दर्भ की दृष्टि से स्थाई महत्त्व के हैं। 'जनधर्म' ने मध्यप्रदेश के किसी श्रेष्ठ साहित्यकार को प्रतिवर्ष 'सारस्वत सम्मान' से अलंकृत करने की परम्परा आरम्भ की थी। अपने गुरु श्री बैजनाथप्रसाद दुबे के सुयोग्य उत्तराधिकारी के रूप में दादा कैलाशचन्द्र पंत ने मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दी भवन न्यास, भोपाल के मंत्री- संचालक का दायित्व जिस लगन, कल्पनाशीलता और समर्पण के साथ निभाया, उसने हिन्दी भवन को हिन्दी और संस्कृति विषयक गतिविधियों में देश की अग्रणी संस्थाओं में प्रतिष्ठित किया है।

जनसंपर्क मध्यप्रदेश ने श्री कैलाशचन्द्र पंत को 'गणेशशंकर विद्यार्थी ' सम्मान से पुरस्कृत किया। विश्व हिन्दी सम्मेलन में दादा को 'हिन्दी सेवी सम्मान' प्रदान किया गया। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का 'सुब्रमण्यम् भारतीय सम्मान' उन्हें मिला। सप्रे संग्रहालय के 'लाल बलदेव सिंह सम्मान' और शताब्दी समारोह में 'कर्मवीर सम्मान' से उन्हें सम्मानित किया गया। निश्चय ही दादा कैलाशचन्द्र पंत जैसा विशाल स्नेही परिवार मध्यप्रदेश में कोई और नहीं रच पाया। इसी का प्रतिफल है कि समाज ने पंत जी को मान-सम्मान और अपनापन देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी।